

बिहार स्टेट माइनोरिटीज

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हाईडिंग रोड, (अली इमाम पथ) धरम-800 017; Ph: 0612-2204975; Fax : 0612-2215994
(Email=minicorporate@bihar.gov.in; website:www.bsmfc.org)

बिहार स्टेट माइनोरिटीज लिमिटेड का एक उपक्रम | 135

संख्या: 2016

बी. एस. एम. एफ. सी. /

पटना, दिनांक: 31/12/18

स्वीकृत्यादेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या-3060 दिनांक-03.12.2016 (पू-...../पू) के आलोक में राज्य समोपस्थित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनातर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक- 02.03.17 एवं 04.03.17 को चयनित प्रवेशत्रवार आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा मधुबनी जिला के तृटिहल कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित करकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 02 लाभुक को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक-05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निर्देश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्वाम में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छवित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

SI No.	Name/ Father's Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
22	MD HASAN, S/o- MD SUEAB, Vill.- SUBHANKARPUR, Block-KALUAHI, PS- KALUAHI, PO- SUBHANKARPUR, Dist.- MADHUBANI-847213	A/c No.:- 162811100002236, ANDB0001628	GATE AND GRILL	500000	2500.00	4,97,500.00
23	MD NASIM ANSARI, S/o- MD SALIM ANSARI, Vill.-Block+PS +PO+MADHEPUR, Dist.- MADHUBANI-847408	A/c No.:- 4663201100000256, BKID0004663	GATE AND GRILL	500000	2500.00	4,97,500.00
			TOTAL	10,00,000.00	5,000.00	9,95,000.00

स्वीकृत ऋण राशि से वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियों/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर से निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियों अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा ।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

सायंक: 2016

प्रतिनिधि:- ऋण शाखा/लेखा शाखा/लेबर शाखा (कम्प्यूटर सेक्सन)/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुमतिनाथ प्रेषित ।

प्रमण्डलीय प्रभारी
प्रोग्राम निर्देशिका
प्रोग्राम निर्देशिका

प्रबंध निदेशक
दिनांक: 31/12/18

प्रबंध निदेशक
दिनांक: 31/12/18